कार्यकारी परिषद की दिनांक 21 मार्च 2015 को 11:00 बजे पूर्वाह्न कंचनजंघा प्रबंधन खंड, सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक में आयोजित 22 वीं बैठक के कार्यवृत्त

निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित थे :

1.	प्रो टी.बी.सुब्बा	-	अध्यक्ष
2.	प्रो. जे पी तामांग	-	सदस्य
3.	प्रो. प्रताप चंद्र प्रधान	-	सदस्य
4.	डा. धनीराज छेत्री	-	सदस्य
5.	डा. सुबीर मुखोपाध्याय	-	सदस्य
6.	प्रो. इर्शाद गुलाम अहमद	-	सदस्य
7.	डा. नवल किशोर पासवान	-	सदस्य
8.	श्री डी कानुनज़	-	विशेष आमंत्रित
9.	श्री टी.के कौल	-	सचिव

प्रो. समीरा मैती एवं प्रो. चेतन सिंह, निदेशक, आई आई ए एस बैठक में उपस्थित नहीं हो सके ।

अध्यक्ष ने कार्यकारी परिषद के सभी सदस्यों का स्वागत किया । तत्पश्चात, कार्यसूची मदों पर चर्चा आरंभ हुई ।

भाग - 1

कार्यवृत्त की पुष्टि एवं अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट

ई.स 22.1.1: कार्यकारी परिषद की दिनांक 15 नवम्बर 2014 को आयोजित 21व बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

कार्यकारी परिषद की दिनांक **15 नवम्बर 2014** को आयोजित 21 वीं बैठक के कार्यवृत्त को दिनांक 16.12.2013 को सभी सदस्यों के बीचदिनांक **25 नवम्बर 2014** को परिचालित किया गया था । अध्यक्ष ने बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि हेतु प्रस्ताव रखा ।

कार्यकारी परिषद की दिनांक 8 दिसम्बर 2013 को आयोजित 18 वीं बैठक के कार्यवृत्त के तत्पश्चात पुष्टि कर ली गई ।

ई.स 19.1.2: कार्यकारी परिषद की दिनांक **15 नवम्बर 2014 को आयोजितबैठक के कार्यवृत्त पर अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट**

रजिस्ट्रार ने 21वीं बैठक के कार्यवृत्त पर अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट परिषद के समक्ष उपस्थित किया । परिषद ने की गई कार्रवाई रिपोर्ट को नोट किया ।

भाग -2

रिपोर्टिंग मदें

शून्य

भाग -3
संपुष्टि हेतु मामले

ई.स 22.3.1: प्रो0 देवब्रत मित्रा का वाणिज्य विभाग में प्रोफेसर के पद से त्याग-पत्र

परिषद ने उपकुलपति द्वारा प्रो0 देवब्रत मित्रा के त्याग पत्र को स्वीकार करने एवं उन्हें दिनांक 23.02.2015 (अप0) से विश्वविद्यालय की सेवा से कार्यमुक्त करने की कार्रवाई की संपुष्टि की । इस पदको रिक्त पद के रूप में चिह्नित किया तथा विज्ञापित किया गया है।

ई.स 22.3.2: डा0 बिनु मैथ्यु का हार्टीकल्चर विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद से त्याग-पत्र

परिषद ने उपकुलपति द्वारा प्रो0 बिनु मैथ्यु के त्याग पत्र को स्वीकार करने तथा उन्हें दिनांक 08.12.2014 (अप0) से विश्वविद्यालय की सेवा से कार्यमुक्त करने की कार्रवाई की संपुष्टि की । इस पद को रिक्त के रूप में चिह्नित तथा विज्ञापित किया गया है ।

ई.स 22.3.3: डा0 किरण ब का वनस्पति विज्ञान विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद से त्याग-पत्र

परिषद ने उपकुलपति द्वारा डा0 किरण बी के त्याग पत्र को स्वीकार करने तथा उन्हें दिनांक 17.03.2015 (अप0) से विश्वविद्यालय की सेवा से कार्यमुक्त करने की कार्रवाई की संपुष्टि की । इस पद को रिक्त के रूप में चिह्नित तथा विज्ञापित किया गया है ।

भाग -4
विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ मामले

ई.स 22.4.1: उपकुलपति ने अंतर्वार्ता की समाप्ति पर नियुक्ति हेतु प्रस्ताव जारी करने के लिए शक्ति संपन्न करना ।

परिषद ने नोट किया कि प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर (रीडर्स) एवं सहायक प्रोफेसर (व्याख्याता) हेतु नियुक्ति प्राधिकारी कार्यकारी परिषद है । यह भी नोट किया गया कि गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुकित हेतु शक्ति का प्रत्यायोजन अभी तक नहीं किया गया है । अत: चयन समिति की एम टी एस से प्रोफेसर तक की सभी अनुशंसाएं कार्यकारी परिषद के समक्ष नियुक्ति हेतु प्रस्ताव जारी करने के पूर्व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गई है ।

अंतर्वार्ता समाप्त होने के तत्काल बाद चयन समिति की अनुशंसाओं के आधार पर नियुक्ति हेतु प्रस्ताव जारी करने के प्रति उपकुलपति का प्राधिकृत किए जाने के मामले पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया । चर्चा के बाद परिषद ने अंतवार्ता की समाप्ति के तत्काल बाद चयन समिति की अनुशंसाओं के आधार पर नियुक्ति हेतु प्रस्ताव जारी करने के लिए उपकुलपति को प्राधिकृत करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया, जिसकी कार्यकारी परिषद द्वारा बाद में संपुष्टि की जाएगी ।

ई.स 22.4.2: विश्वविद्यालय में सांविधिक एवं गैर सांविधिक पदों पर भर्ती

परिषद को सूचित किया गया कि चयन समिति के प्रति एम एच आर डी से विजिटर द्वारा नॉमिनी प्राप्त होने पर, चयन समितियों से परामर्श लेने एवं अंर्तवार्ता के संचालन की प्रकिया आरंभ की जाएगी । विश्वविद्यालय द्वारा वित्त अधिकारी के पद हेतु अंतर्वार्ता दिनांक 23 फरवरी 2015 को तथा पुस्तकालयाध्यक्ष एवं सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष हेतु दिनांक 24 फरवरी 2015 को संचालित किया गया ।

परिषद ने उपकुलपति द्वारा चयन समितियों के प्रति सदस्यों को नामित करने में की गई कार्रवाई की संपुष्टि की तथा चयन समिति की कार्यवाही का अनुमोदन किया । चयन समितियों की अनुशंसाओं के आधार पर, परिषद ने निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के आगे उल्लेखित पदों पर नियुक्ति हेतु प्रस्ताव दिए जाने का अनुमोदन किया:

1. **वित्त अधिकारी** - **श्र प्रमोद कुमार सिंह**
2. **पुस्तकालयाध्यक्ष** - **कोई भ उपयुक्त नहीं पाया गया**
3. **सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष** - **श्र प्रवण कार्की**

प्रतक्षा सूच -1(श्र संदीप कुमार सिंह)

ई.स 22.4.3: वित्त समिति के प्रति नॉमिनेशन

परिषद ने नोट किया कि वित्त समिति में निम्नलिखित की सदस्यता उनके विरूद्ध दर्शायी गई तारीख से समाप्त होगी / पर समाप्त होने वाली है:

1. श्री सोनम वांगडी 29.01.2015
2. प्रो0 ए.के.दत्ता 02.06.2015
3. वित्त सचिव, सिक्किम सरकार **02.06.2015**

परिषद नेकार्यकारी परिषद द्वारा वित्त समिति के प्रति नामित किए जाने के संबंध में सांविधि 17(1)(iv) में अंतर्निहित प्रावधानों को नोट किया ।

परिषद ने विचार विमर्श के पश्चात उपकुलपति को ऊपर वर्णित सांविधि के अंतर्गत वित्त समिति के प्रति सदस्यों को नामित करने के लिए प्राधिकृत किया ।

ई.स 22.4.4: गैर शिक्षण कर्मचारियों की परीविक्षा अवधि की परिसमाप्ति

परिषद ने नोट किया कि नीचे दिए गए विवरणानुसार छः गैर-शिक्षण कर्मचारियों ने प्रत्येक के विरूद्ध उल्लेखित पर अपनी परीविक्षा समाप्त कर ली है:

क्र. सं.	कार्मिक का नाम	पदनाम	कार्यग्रहण करने की तारीख	परीविक्षा समाप्ति की तारीख
1.	श्री विवेक मोक्तान	सिस्टम एनालिस्ट	23.08.2013	22.08.2014
2.	श्री विशाल तामांग	अनुभाग अधिकारी	18.12.2013	17.12.2013
3.	सुश्री पुनम छेत्री	अनुभाग अधिकारी	09.01.2014	08.01.2014
4.	सुश्री रेशु प्रधान	एल डी सी	05.09.2013	04.09.2013
5.	श्रीमती दीपिका सुब्बा	हिंदी टंकक	06.01.2014	05.01.2014
6.	श्रीमती ममता प्रधान	नर्सिंग परिचारक	23.12.2013	25.12.2014

उनके कार्य निष्पादन की समीक्षा रिपोर्टिंग अधिकारी तथा रिव्युइंग प्राधिकारी द्वारा की गई थी । उपरोक्त कार्मिकों के कार्य निष्पादन रिपोर्ट में कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी नहीं पाई गई थी ।

परिषद ने ऊपर वर्णित गैर शिक्षण कार्मिक सदस्यों से परीविक्षा उठाए जाने तथा परीविक्षा की समाप्ति की तारीख के अगले दिन से विश्वविद्यालय की सेवा में पुष्टि किए जाने का अनुमोदन किया ।

ई.स 22.4.5: सांविधिक पदों के विरूद्ध संवाजन्य नियुक्ति

परिषद ने नोट किया कि श्री डी. कानुनज्ञ की वित्त अधिकारी के पद के विरूद्ध सलाहकार (वित्त) के रूप में संवीदाजन्य नियुक्ति 23 मार्च 2015 तक के लिए है तथा ए एस चंदेल की लाइब्रेरियन के रूप में 22 मार्च 2015 तक के लिए है । परिषद ने आगे नोट किया वित्त अधिकारी के नियमित पद हेतु चयन पहले ही किया जा चुका है, अत: श्री डी कानुनज्ञ की नियुक्ति में दिनांक 24 मार्च 2015 से तीन महीने का विस्तार का वर्तमान शर्तों पर अनुमोदन किया ।

टेबुल मदें

ई.स 22.4.6: सिक्किम विश्वविद्यालय के एक केंद्र की स्थापना

परिषद ने नोट किया कि एम एच आर डी ने दिनांक 2 मार्च 2015 के पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि सिक्किम विश्वविद्यालय का गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन क्षेत्र में एक केंद्र की स्थापना के प्रस्ताव का परीक्षण के दौरान यह उचित समझा गया कि जी टी ए में एक नए केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने के प्रस्ताव पर विचार करने की अपेक्षा, जी टी ए क्षेत्र में सिक्किम विश्वविद्यालय का एक बाह्य कैंपस स्थापति करने के विकल्प की खोज की जाए । एम एच आर डी के पत्र में आगे कहा गया है कि सांविधियों में विश्वविद्यालय के बाह्य कैंपस के बारे में कोई प्रावधान नहीं है । यद्यपि अधिनियम की धारा 5 (xii), विश्वविद्यालय को केंद्र सरकार की पूर्वानुमति से, ऐसे केंद्रों एवं विशेषीकृत प्रयोगशालाओं अथवा अनुसंधान एवं शिक्षण हेतु अन्य इकाईयों को स्थापित करने के लिए शक्ति संपन्न किया गया है, जो कि, विश्वविद्यालय के अभिमत में इनके उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है । अधिनियम की धारा 6(1) के अनुसार भी विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र सिक्किम राज्य के अंतर्गत तक सीमित किया गया है । जी टी ए क्षेत्र में इनके केंद्र की स्थापना हेतु प्रस्ताव पर टिप्पणियां तथा अधिकार क्षेत्र से संबंधित अधिनियम की धारा 6(1) के प्रति प्रस्तावित संशोधनों पर विश्वविद्यालय का दृष्टिकोण भी मांगा गया है ।

बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने अपनी राय व्यक्त की । जबकि कुछ सदस्यों का यह अभिमत था कि जी टी ए क्षेत्र की जनता का दीर्घकाल से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की मांग लंबित है, तथा यह जी टी ए, केंद्र एवं पश्चिम बंगाल सरकार के बीच त्रिपक्षीय अनुबंध का एक अंग है, अत: एस यू के एक केंद्र की स्थापना से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की मांग धुमिल हो जाएगी, जिनकी कि बहुत आवश्यकता है ।अन्य सदस्यों ने अनुभव किया कि बाह्य-कैंपस में कर्मचारियों की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जो कि बाह्य कैंपस एवं एच क्यू में एक ही विषयों को पढ़ाने की समस्या के अतिरिक्त एच क्यू में स्थानांतरण चाहेंगे ।

कुछ सदस्य जी टी ए हेतु पूर्णरूपेण केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व अनुकृति के रूप में सिक्किम विश्वविद्यालय का बाह्य कैंपस केंद्र खोले जाने के पक्ष में थे । कुछ सदस्यगण इस मुद्दे पर विश्वविद्यालय से बाहर विभिन्न स्तरों पर गंभीर विचार विमर्श किए जाने के पक्षधर थे । यहां तक कि कुछ सदस्यगण एम एच आर डी के जी टी ए में बाह्य कैंपस केंद्र की स्थापना के प्रस्ताव के पक्ष में थे, वे इसे सिक्किम विश्वविद्यालय के लिए जी टी ए क्षेत्र के प्रति उच्चतर शिक्षा प्रणाली के विकास में सहायता करने का एक अवसर के रूप में देख रहे थे तथा उनका दृष्टिकोण था कि यह बाद में एक पूर्णरूपेण विश्वविद्यालय में विकसित हो जाएगा, जैसा कि मिजोरम विश्वविद्यालय, नागालैंड विश्वविद्यालय, राजीव गांधी विश्वविद्यालय , त्रिपुरा विश्वविद्यालय एवं मणिपुर विश्वविद्यालय के मामले में हुआ ।

विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से एम एच आर डी के जी टी ए क्षेत्र में बाह्य कैंपस केंद्र की स्थापना के प्रस्ताव का अनुमोदन किया तथा सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 6(1) के प्रति निम्नलिखित संशोधन का सुझाव दिया:

"*विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र सिक्किम राज्य एवं पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन (जी टी ए) क्षेत्र के प्रति विस्तारित किया जाएगा*"

अधिनियम की कुछ अन्य धाराओं के प्रति संबंधित अन्य संशोधनों पर उपरोक्त संशोधन के साथ साथ निम्नानुसार विचार किए जाने की आवश्यकता है:

एस यु एक्ट की धारा	**वर्तमान**	**प्रस्तावित**
2(यू)	"विश्वविद्यालय" का अर्थ सिक्किम विश्वविद्यालय है, जिसे अधिनियम के अंतर्गत एक विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित एवं समावेशित किया गया है।	"विश्वविद्यालय" का अर्थ इस अधिनियम के अंतर्गत एक विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित एवं समावेशित सिक्किम का केंद्रीय विश्वविद्यालय है। कारण: नाम में यह परिवर्तन सिक्किम विश्वविद्यालय के बारे में अन्य पांच राज्य/निजी विश्वविद्यालयों के साथ लोक मिथ्याचारों को दूर करने के लिए प्रस्तावित है, क्योंकि उनके नामों में अंशत: एस यू आता है, यथा-सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय , ई एस एल एम सिक्किम विश्वविद्यालय , एम डी सिक्किम विश्वविद्यालय , आई सी एफ आई सिक्किम विश्वविद्यालय तथा एस आर एम सिक्किम विश्वविद्यालय
3(1)	"सिक्किम राज्य में" सिक्किम विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा	"सिक्किम राज्य में" सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ सिक्किम नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा
3(2)	विश्वविद्यालय का मुख्यालय गंगटोक में स्थित होगा	विश्वविद्यालय का मुख्यालय दक्षित सिक्किम के यांग्यांग में स्थित होगा
4	विश्वविद्यालय का उद्देश्य शिक्षण की ऐसी शाखाओं में शैक्षणिक एवं अनुसंधान सुविधाएं उपलबध कर ज्ञान में वर्धन एवं प्रचार-प्रसार करना होगा, जैसा कि उचित	विश्वविद्यालय का उद्देश्य ऐसी शाखाओं में शैक्षणिक एवं अनुसंधान सुविधाएं उपलबध करवा कर ज्ञान में वर्धन एवं प्रचार-प्रसार करना होगा, जैसा कि उचित समझा जाए, मानविकी, प्राकृतिक एवं भौतिक

	हो, मानविकी, प्राकृतिक एवं भौतिक विज्ञानों, सामाजिक विज्ञानों, वन विज्ञान एवं विश्वविद्यालयके शैक्षिक कार्यक्रमों में अन्य संबद्ध शास्त्रों में एकीकृत पाठ्यक्रमों का प्रावधान करना, शैक्षिक-पाठन प्रक्रिया, अंतर-शास्त्रीय अध्ययन एवं अनुसंधान में नवोचार की प्रोन्नति हेतु उचित उपाय करना, सिक्किम राज्य के विकास हेतु, श्रम-शक्ति को शिक्षित एवं प्रशिक्षित करना,तथा राज्य के नागरिकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों एवं कल्याण में अभिवृद्धि, उनके बौद्धिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक विकास पर विशेष ध्यान देना ।	विज्ञानों, सामाजिक विज्ञानों, वन विज्ञान एवं विश्वविद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रमों में अन्य संबद्ध शास्त्रों में एकीकृत पाठ्यक्रमों का प्रावधान करना, शैक्षिक-पाठन प्रक्रिया, अंतर-शास्त्रीय अध्ययन एवं अनुसंधान में नवोचार की प्रोन्नति हेतु उचित उपाय करना, पश्चिम बंगाल के जी टी ए क्षेत्र सहित सिक्किम राज्य के विकास हेतु, श्रम-शक्ति को शिक्षित एवं प्रशिक्षित करना, इस क्षेत्र के नागरिकों को, उनकी बौद्धिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक विकास सहित सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों की अभिवृद्धि तथा कल्याण पर विशेष ध्यान देना ।
6(2)	हाल में लागू किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी, सिक्किम राज्य के अंतर्गत कोई भी शैक्षणिक संस्थान किसी भी प्रकार से, भारत में विधि द्वारा समावेशित किसी अन्य विश्वविद्यालय की अन्य सुविधाओं के प्रति सहयोजित अथवा नामांकित नहीं होगा, एवं इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व सिक्किम राज्य के अंतर्गत किसी शैक्षणिक संस्थान के प्रति ऐसी किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त ऐसी कोई सुविधा इस अधिनिमय के लागू होने के पश्चात वापस ली गई मानी जाएगी ।	हाल में लागू किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी, सिक्किम राज्य एवं पश्चिम बंगाल के जी टी ए क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी शैक्षणिक संस्थान किसी भी प्रकार से, भारत में विधि द्वारा समावेशित किसी अन्य विश्वविद्यालय की अन्य सुविधाओं के साथ सहयोजित अथवा के प्रति नामांकित नहीं होगा, एवं इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व सिक्किम राज्य के अंतर्गत किसी शैक्षणिक संस्थान के प्रति ऐसी किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त ऐसी कोई सुविधा इस अधिनिमय के लागू होने के पश्चात अथवा ऐसी तारीखें, जैसा कि केंद्र सरकार आदेश द्वारा निर्दिष्ट करें, वापस ली गई मानी जाएगी ।

ई.स 22.4.7: शिक्षकों की परीविक्षा अवधि का समापन

कार्यकारी परिषद ने नोट किया कि निम्नलिखित शिक्षकों ने प्रत्येक के विरूद्ध दर्शाई गई तारीख से अपनी परीविक्षा अवधि को समाप्त कर लिया है । उनके परीविक्षा की समीक्षा उपकुलपति द्वारा की गई है तथा संतोषजनक पाई गई है । परिषद ने परीविक्षा अवधि हटाने का तथा विश्वविद्यालय के सेवा में इन शिक्षकों की उनकी परीविक्षा समाप्ति की तारीख अगले दिवस से पुष्टि का अनुमोदन किया ।

क्र.सं.	कार्मिक का नाम	पदनाम	विभाग	कार्यग्रहण की तारीख	परीविक्षा की समाप्ति की तारीख
1	प्रो0 जे.पी.तामांग	प्रोफेसर	माइक्रोबायोलॉजी	14.03.2012	13.03.2013
2	प्रो0 पी.सी. प्रधान	प्रोफेसर	नेपाली	25.06.2012	24.06.2013

ई.स 22.4.8: डा0 धर्मेंद्र प्रताप, सहायक प्रोफेसर का त्याग-पत्र

डा0 धर्मेंद्र प्रताप, सहायक प्रोफेसर, वागवानी विभाग ने यह अनुरोध करते हुए सहायक प्रोफेसर के पद से अपने दिनांक 27 फरवरी 2015 के पत्र के माध्यम से त्याग-पत्र प्रस्तुत किया हैउन्हें लिइन के साथ कार्यमूक्त किया जाए । तत्पश्चात दिनांक 3 मार्च 2015 के

पत्र के माध्यम से उन्होंने लिइन के बिना यथाशीघ्र इस आधार पर कार्यमुक्त करने का अनुरोध किया है कि उनका चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ में सहायक प्रोफेसर के पद पर चयन हो गया है । परिषद ने नोट किया कि सांविधि 26(6) (ए) के अनुसार स्थाई कार्मिकगण कार्यकारी परिषद अथवा नियुक्ति प्राधिकारी के प्रति लिखित रूप से तीन माह की नोटिस देकर, अथवा इसके बदले में तीन माह का वेतन जमाकर जैसा कि मामला हो, त्याग पत्र दे सकता है । इस प्रावधान के अंतर्गत डा0 धर्मेंद्र प्रताप को दिनांक 27.05.2015 को तीन महीने की सूचनावधि समाप्त होने पर कार्यमुक्त किया जा सकता है । उन्हें इस शर्त पर इसके पूर्व भी कार्यमुक्त किया जा सकता है, कि वे इन तीन महीने की सूचनावधि के लिए तीन माह का अपना वेतन वापस करे ।

परिषद ने विचार-विमर्श के पश्चात इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया । यद्यपि, कुछ सदस्यों नेप्रश्न उठाया कि डा0 धर्मेंद्र प्रताप के समक्ष एक परियोजना लंबित है, जिनके लिए स्कॉलरों की नियुक्ति भी की जा चुकी है । डा0 धर्मेंद्र प्रताप से इस परियोजना के संबंध में अलग से लिखित रूप से पूछा जाए ।

ई.स 22.4.9: गेस्ट हाउस के प्रचालन से संबंधित मामला

इस मद को रजिस्ट्रार द्वारा प्रस्तुत किया गया । उन्होंने परिषद को सूचित किया कि गेस्ट हाउस के समग्र क्रिया कलाप पर परामर्श देने के लिए एक गेस्ट हाउस परामर्शदायी समिति गठित की गई थी, जो कि सलाह देने तथा मूल्यांकन विकल्प आदि भी सुझाएंगी । परामर्शदायी समिति की बैठक में एक प्रस्तुतीकरण दिया गया था , जिसमें गेस्ट हाउस की वर्तमान स्थिति दर्शाई गई थी । इन विवरणों को परिषद के सदस्यों के समक्ष भी संक्षिप्त रूप से बतलाया गया थ । गेस्ट हाउस की परामर्शदायी समिति ने अनुशंसा की कि हमलोग वर्तमान गेस्टहाउस को छोड़कर संपूर्ण वर्ष के लिए होटल में कमरे ले सकते हैं, जिनके लिए निम्नलिखित कार्रवाईयों का अनुसरण किया जाएगा :

1. **गंगटोक एवं इसके आस पास के क्षेत्र में होटलों की विभिन्न श्रृंखलाओं से अभिरूचि की अभिव्यक्ति प्राप्त करने के लिए विज्ञापन प्रकाशित करना ।**
2. **विश्वविद्यालय के विभिनन श्रेणियों के अतिथियों के निवास हेतु विभिन्न श्रृंखलाओं के होटलों में कमरे बुक करना ।**
3. **अनुशंसित व्यवस्था होने तक गेस्ट हाउस को प्रतिधारित करना**
4. **गेस्टहाउस में संवदाजन्य कर्मचारियों (कूक एवं हेल्पर) की सेवाओं को भ छोड़ दिया जाए, जबकि गेस्ट हाउस को छोड़ दिया जाता है ।**

विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात परिषद ने परामर्शदायी समिति की अनुशंसाओं का अनुमोदन किया । इनके द्वारा संवीदा आधार पर उन प्रोफेसरों/कार्मिकों के निकास के लिए दो-तीन छोटे फ्लैट किराए पर लिए जाने का भी अनुमोदन किया गया , जिन्हें एक बार में छ: महीने से अधिक की लंबी अवधि के लिए रहना पड़ता हो ।

ई.स 22.4.10: नियत चिकित्सा भत्ता के स्थान पर बाह्य रोग के रूप में उपचार की प्रतिपूर्ति पर विचार करना ।

परिषद ने नोट किया कि नियत चिकित्सा भत्ता के स्थान पर बाह्य रोगी के रूप में उपचार की प्रतिपूर्ति के लिए एक प्रस्ताव कार्यकारी परिषद के समक्ष इनके दिनांक 15 नवम्बर 2014 को आयोजित बैठक में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें परिषद द्वारा विश्वविद्यालय को कर्मचारियों एवं इनके आश्रित पारिवारिक सदस्यों के ओ पी डी उपचार के उद्देश्य से समूह चिकित्सा बीमा योजना की संभाविता की खोज करने की सलाह दी गई थी । इस उद्देश्य से सलाहकार (वित्त) की अध्यक्षता में डा0 एस एस महापात्र, श्री सी तालुकदार, डा0 मंजुश्री थापा एवं श्री सी बी छेत्री के साथ सदस्य के रूप में एक समिति गठित की गई थी । समिति ने सभी चार सामान्य बीमा कंपनियों (जी आईसी) के साथ संपर्क किया था । समिति ने अपने रिपोर्ट में निवेदन किया था कि इन कंपनियों में से प्रत्येक के मेडिक्लेम पॉलिसी में सिर्फ हॉस्पीटलाइजेशन ही व्याप्त हैं । ओ पी डी उपचार इन कंपनियों में से किसी की बीमा योजनाओं में व्याप्त नहीं है । समिति ने अनुशंसा की थी कि कर्मचारियों के लिए उनके ओ पी डी उपचार के संबंध में समूह चिकित्सा बीमा योजना उपयुक्त नहीं है।

कार्यकारी परिषद ने विचार विमर्श के पश्चात विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के प्रति नियत चिकित्सा भत्ता के बदले में भारत सरकार की सी एस (एम ए) नियमावली के अनुसार स्वयं एवं आश्रित पारिवारिक सदस्यों के लिए बाह्य रोगी उपचार की प्रतिपूर्ति का अनुमोदन किया ।

भाग - 5
प्राधिकारियों /समितियों के कार्यवृत्त

भवन निर्माण समिति की दिनांक 20 फरवरी 2015 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त: परिषद ने भवन निर्माण समिति की दिनांक 20 फरवरी 2015 को आयोजित 6ठी बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया ।

भाग -6
अध्यक्ष की अनुमति से मदें

अध्यक्ष ने समिति को सूचित किया कि प्रो0 समीरा मैती, स्कूल ऑफ ह्यूमन साइन्सेज के डीन वर्तमान में अपने उपचार के लिए चिकित्सा छुट्टी पर हैं । वे चिकित्सा छुट्टी कुछ और दिन रह सकती हैं । स्कूल ऑफ ह्यूमन साइंसेज के क्रिया कलाप के संचालन के लिए, विशेष कर ए ए ए सी द्वारा चलाई जा रही वर्तमान पीयर रिव्यू की दृष्टि से यह प्रस्तावित किया जाता है कि स्कूल ऑफ ह्यूमन साइंसेज में एक एसोसिएट प्रोफेसर को प्रो0 समीरा मैती के स्थान पर उनकी कार्य से अनुपस्थिति के दौरान डीन का प्रभार सौंपा जाए ।

स्कूल ऑफ ह्यूमन साइंसेज में वरिष्ठतम एसोसिएट प्रोफेसर डा0 सोहेल फिरदौस हैं, परंतु उन्हें प्रभार नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि उन्हें भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष पद से हटाया गया है, तथा उन्हें सौंपे गए आरोप पत्र पर कार्यकारी परिषद का निर्णय लंबित है ।

अगले वरिष्ठतम एसोसिएट प्रोफेसर डा0 नुतन कुमार एस थिंगुजाम, एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान हैं ।

परिषद ने डा0 नुतन कुमार एस थिंगुजाम की डीन, स्कूल ऑफ ह्यूमन साइंसेज, के रूप में प्रो0 समीरा मैती की अनुपस्थिति के दौरान अस्थायी नियुक्ति का अनुमोदन किया । डा0 थिंगुजाम मनोविज्ञान के विभागाध्यक्ष बने रहेंगे ।

अध्यक्ष महोदन को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक समाप्त घोषित हुई ।

(टी.के.कॉल)
रजिस्ट्रार
सचिव

(प्रो.टी.ब सुब्बा)
उपकुलपति
अध्यक्ष